21.05.25

पक्षकारों पेश हुए वादी एवं वादी के वकील हाजिर नहीं। विपक्षियों आवाज दी गई। कोई उपस्थित नहीं आने से प्रकरण अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पक्षकारों पीड़ित होकर सरंजा से कम हो।

निर्णय सुनाया गया।